



**कोटपा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (वित्तापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत**

**शिक्षण संस्थान स्तरीय मासिक रिपोर्टिंग फोरमेट**

माह :-  
 संस्थान का नाम :-  
 ग्राम :-  
 उपखण्ड :-  
 जिला :-

क्र.सं.	कानून की धारा एवं प्रावधान	वर्तमान स्थिति
1	धारा 8 ब के तहत बाहरी प्रवेश द्वार पर सूचना बोर्ड दिये गये नमूने के अनुसार	
2	धारा 8 ब के तहत संस्थान की बाहरी सीमा के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषेध	उल्लंघनों की संख्या मय विवरण :-
3	धारा 4 के तहत दिये गये नमूने के अनुसार संस्थान में प्रवेश, स्टाफ रुम, सीटिंघी आदि स्थानों पर चेतावनी	
4	धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन	उल्लंघनों की संख्या मय विवरण :-
5	संस्थान में तंबाकू नियन्त्रण, तंबाकू के नुकसान आदि पर गतिविधियों का आयोजन	

**Section 6 B:**  
 60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)

**तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान**

यस शिक्षण संस्थान को 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार की तंबाकू उत्पाद बिक्री या वितरण का कानूनी अपराध है, जिसके कारण करने वालों पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आयोजक

यस संस्थान के अधिकारी का नाम

यस संस्थान का पता

**Section 4:**  
 60cmx30cm

**धूम्रपान रहित क्षेत्र,**  
**यहाँ धूम्रपान करना**  
**एक अपराध है।**

उल्लंघन करने पर 200/- रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

आयोजक का नाम

आयोजक का पता